



बागेश्वर के अनुसूचित जातियों का सामाजिक स्तरीकरण



डॉ. बी. सी तिवारी¹ , सुश्री पुष्पा दानू²

¹एसोसिएट प्रोफेसर ,इतिहास विभाग , राज. स्ना. महा. बागेश्वर .

²शोधार्थी (इतिहास) , राज. स्ना. महा. बागेश्वर .

प्रस्तावना :

भगवान ने केवल दो जातियों स्त्री-पुरुष बनायीं उनके अपने गुण-धर्म अलग-अलग हैं इनका रहन-सहन एक जैसा है वस्तुतः ये एक दूसरे के पूरक हैं ये समाज का सृजन करते हैं यह जिस समाज का सृजन करते हैं उसे अधिक खुशहाल बनाने के लिए सतत् प्रतिबद्ध रहते हैं

समाज सत्यम् शिवम् सुन्दरम् के विचार धाराओं से प्रेरित था परन्तु धीरे-धीरे समाज में भोग-विलास तथा कुटिल चालों का प्रणेता जैसे लोगों से ग्रसित हो गया यही लोग समाज में व्याप्त दुःख और अव्यवस्था को फैलाते हैं इन्हीं लोगों की वजह से धर्म की हानि, जातिवाद, धर्मान्धता, क्षेत्रवाद, रंगभेद, लिंगभेद, ऊँच-नीच गरीबी-अमीरी, वर्गभेद, की भावनाएँ फैलती हैं समाज में इन्हीं व्याप्त अव्यवस्थाओं से वर्गभेद, जातिवाद की भावनाएँ आती हैं जिससे समाज अनेक वर्गों में विभाजित हो जाता है।

भारतीय समाज में वर्णव्यवस्था का प्रथम साक्ष्य उत्तरवैदिक काल में मिलता है।¹ उस समय ऊँच-नीच का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था ऋग्वेद में वर्णित है कि ऋषि कहता है 'मै स्त्रोत हूँ, पुत्र भिशक और कन्या यव-भर्जन करिणी अर्थात् चक्की पीसने वाली है।' अर्थात् एक ही परिवार में चारों वर्णों के व्यक्ति पाए जाते हैं चारों वर्णों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है जिस प्रकार मनुष्य शरीर में भिन्न-भिन्न कार्य करने के लिए मुह, हाथ, उरु, पैर, जंघा है उसी प्रकार समाज के हित के लिए मनुष्यों को चार प्रमुख वर्णों जैसे- जो कर्मठ एवं सेवाभावी व्यक्ति जीवन के आधार की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा अन्न उत्पादन, वस्त्रादि बनाने, गृह निर्माण और अस्त्र-शस्त्र तैयार करने के कार्य में दक्ष एवं समर्थ थे। शूद्र वर्ण के नाम से विख्यात हुए

यजुर्वेद में श्रमजीवी कारीगर अर्थात् शिल्पकार का विशेष सम्मान के साथ गौरवगान किया गया है-नमस्तक्षभ्यो रथकारभ्यश्च वो नमः "

नमो कुलालेभ्यः कर्मरिभ्यश्चयो नमः ॥

अर्थात् ब्राह्मण (बुद्धिजीवी) और शूद्र (श्रमजीवी) एक ही श्रेणी में आते हैं इनकी स्थिति में कोई अन्तर भेद नहीं है।² वेदों का अध्ययन एवं यज्ञ चारों वर्णों के लोग आपस में मिलजुलकर करते थे भविष्य पुराण का वाक्य इस संबंध में दृष्टव्य है-

**ब्राह्मणः क्षत्रियःवैश्याः भूद्राये भूचयोश्मलसः
तेशां मन्त्राः प्रदेवा वैन तु संकीर्णधर्मिणाम्।।**

महाभारत के वाक्य भी इस संबंध में उल्लेखनीय हैं

चत्वारो वर्णा यज्ञमिमं वहन्ति ।

**ब्राह्मणः क्षत्रियाः वैश्याः भूद्राश्च कृतलक्षणाः
कृते युगेसंभवन् स्वकर्म निरताः प्रजा।।³**

भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए जाने का प्रावधान है। इन्हीं प्रावधानों के अधीन विशिष्ट समुदायों को अनुसूचित जाति है अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट किए जाने का प्रावधान है।⁴ 314 अनुच्छेद में दलित जातियों सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए एक अनुसूची बनायी गई और इन अनुसूची में सम्मिलित जातियों को अनुसूचित जातियों का दर्जा दिया गया।

अनुसूचित जातियों का स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न रूप में स्तरीकृत किया जाता है वर्ग स्तरीकरण विश्वव्यापी है

18 सितम्बर 1976 ई.के आदेश द्वारा इन्हें 65 जातियों में अर्न्तगत रख गया है इनमें शिल्पकार को कोई पृथक जाति न मानकर अपितु यह कर्मकारों के एक समूह को शिल्पकार के नाम से जाना जाता है— तौबे के बर्तन बनाने वाला टम्टा, लौह के औजार बनाने वाले लोहार, बॉस, रिगाल के कार्यों को करने वाला रूड़िया, मकान बनाने वाला ओड़, लकड़ी का काम करने वाला बड़ई (वैदिक काल में लकड़ी के कार्य को करने वाले के लिए तक्षन शब्द का प्रयोग किया जाता है)

ब्याह शादियों में तिमिल पत्तों की व्यवस्था तथा चुल्हा बनाने वाले को पौहरी, और कोल्हू से तेल निकालने वाले को तेली या भूल आदि अनेक उपजातियों के नाम से जाना जाता है डॉ. आर. बी. पन्त ने उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों का अध्ययन करते हुए यहाँ के निवासी सभी शिल्पकारों को निर्विवाद रूप से अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखते हुए अटकिंसन के द्वारा सम्पादित हिमालयी गजेटियर में उद्धरण किया है कि प्रथम जनगणना 1872 के अनुसार तत्कालीन कुमायूँ एवं गढ़वा लमे अनुसूचित जातियों के अर्न्तगत 1,04,936 अर्थात् 10 फीसदी आबादी है।⁵

शिल्पकार शब्द का सही अर्थ— शिल्पकला करने वाला। इनका कार्य भवन निर्माण भी होता है इसीलिए इन्हे औड़ भी कहा जाता है। शिल्पी समुदायों में भी आपसी वर्गभेद के साथ-साथ उच्च व निम्न वर्ग मिलते हैं पं. बद्रिदत्त पाण्डे ने इन्हें चार श्रेणियों में बांटा है—

प्रथम श्रेणी—कोली, टम्टे, औड़, लौहार।

द्वितीय श्रेणी—भूल, रूड़िया, चिमड़िया, आगरी, पहरी।

तृतीय श्रेणी— शूद्र, चमार, मोची, बखरिया, धूना, हनकिया।

चतुर्थ श्रेणी— वादी, हुड़किया, दरजी, ढोली, भोंड व हलिया।

सनवाल के अनुसार खलेत के वर्ग में दास,ढोली, दमाई और औजी आते हैं और मांगखाणी के अर्न्तगत हुड़की, वादी, मिरासी, नट आदि आते हैं।⁶

आदि वैदिक संस्कृति में समाज तीन वर्गों में विभाजित था जैसे— ब्राह्मण, क्षत्रिय, और विष। यही वर्गीकरण हिमालय के परंपरागत समाज में ब्राह्मण, क्षत्रियऔर दास— शिल्पकार वर्गों में पहचाना जा सकता है वस्तुतः कुमायूँ के अभिलेखों में दास—शिल्पकार को 'विस' नाम से संबोधित किया गया है जो एक दीर्घ कालीन परंपरा का द्योतक है।

सिन्धु घाटी सभ्यता और उत्तर सिंधु घाटी सभ्यताओं में भी ताम्र- कांस्य कर्मकारों का बालबाला था क्योंकि मनुष्य द्वारा जिस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह तौबा ही था और तौबा में टिन मिलाकर काँसा तैयार किया जाने लगा इसीलिए सिंधु सभ्यता को काँस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है वर्तमान समय में बागेश्वर में टम्टा, आगरी, लौहकर्मी का कार्य करने वाले लौहकर्मी आदि निवास करते हैं।⁷

यहाँ का समाज मूलतः बिठ (ब्राह्मण एवं राजपूत) और शिल्पकार वर्ग में विभक्त रहा है और दास की गणना शिल्पकार वर्ग में की जाती है जो व्यवसायगत ढोलवादकों में जाने जाते हैं। का आधार एक समान व्यवसायों के सामाजिक नियन्त्रण के दृष्टिगत किया गया होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय चयन में केवल जाति बंधुओं का नैतिक नियन्त्रण तथा सामाजिक प्रतिबंध ही कारण है क्योंकि जाति और व्यवसाय के मध्य निकटतम संबंध होता है शिल्पकारों में भी सामाजिक दृष्टि से पारंपरिक उच्च- नीच, खान-पान वैवाहिक विभेद विभिन्न रूपों में दृष्टिगत होता है पेशे की विशिष्टता तथा महत्व के कारण कोली- बुनकर तथा ओड़ को उच्च स्थान प्राप्त था। अपने को उच्च जाति का मानने वाले ओड़ या कोली दासों के हाथों का भात (पका चावल) ग्रहण नहीं करते थे जातिगत विशिष्टता से उसमें उच्च- नीच की भावना रहती थी।

औजियों के अपने आश्रयदाता 'बिठ' ठाकुर कहलाते थे ये ब्राह्मण और राजपूत दोनों होते थे इन ठाकुरों के गाँव परिवार उनकी वृत्ति कहलाती थी। इन परिवारों के साथ उनके बड़े आत्मीय संबंध रहते थे।⁸

दास अपने वृत्ति के ठाकुर परिवारों से प्रत्येक फसल पर डंडवार (फसल) लेते रहे हैं। इसकी मात्रा आश्रयी ठाकुर की सामर्थ्य पर तथा परंपरागत रूप से निर्धारित होती थी।

औजी जजमानी ग्रामों में वाद्ययंत्र वादन के ग्रामों के कपड़े की सिलाई का कार्य भी करते थे इसीलिए औजी को दर्जी नाम से भी जाना जाता है अपने जजमानी गाँव में ठाकुरों के परिवारों के सुख- दुख में सदैव साथ देने वाला यह वर्ग, दास वर्ग के नाम से भी जाना जाता है मध्यकाल में अपने ठाकुर परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सिर मुंडवाने के कारण 'खरमुण्डादास' कहलाते थे इस वर्ग के व्यक्तियों के नामान्त में दास शब्द प्रयुक्त होता है इस कारण बाजगी, औजी, दर्जी सभी लोग दास-ढोली और औजी- दर्जी के नामों पुकारे जाते थे

औजियों की वृत्ति को 'डंडवार' कहा जाता है जबकि ब्राह्मणों की वृत्ति को जजमानी कहा जाता है।⁹ औजी के समान हुड़किया भी आशु कवि होते हैं यह गद्य- पद्य मिश्रित चम्पू शैली में प्राचीन भड़ों (वीर योद्धाओं) के पंवाड़े (वीरगाथाओं) को सुनाकर अपनी आजीविका चलाते थे मिरासी लोग ढोलक, सारंगी हारमोनियन बजाकर गीत गाया करते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। शिल्पकार वर्ग ही हमारी लोक संस्कृति के संरक्षक व संवहक रहें हैं औजी, बढई, लुहार, रुड़िया, धुनिया टम्टा, कोली जातियों में हमारी भौतिक संस्कृति को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।¹⁰ यजुर्वेद का कृतज्ञ ऋषि समाज के शिल्पियों और आधारभूत कर्मियों को इन सम्मान भरे शब्दों से अभिनन्दन करता है। जिन्हें परवर्ती कालों में अस्यपृश्य और निम्नवर्ग का मान लिया गया-

**“प्रणाम है कंचुकियों और भंडारियों को
नमस्कार है बढइयों और रथकारों का
नमन है कुम्हारों और धातुशिल्पियों का
नमस्ते धनुशबाण निर्माताओं को और
शिकारी कुत्तों वाले आखेटकों को।”**

यजुर्वेद के तीसवें अध्याय में 52 प्रकार के उद्योग कर्मियों का किया गया है इनमें बढई, कुम्हार, राजमिस्त्री, से लेकर चमड़ा, बॉस, रेशे का कार्य करने वाले ही नहीं अपितु कुट्टी काटने वाले, धोबी, रंगरेज, धीवर, ग्वाला, गड़रिया, कोचवान, महावत, लकड़हारा और सुरा बनाने वाला आदि सम्मिलित थे।

ताज के समाज में प्रचलित शिल्पकार शब्द हमारे कलाकार बंधुओं का वैदिक कालीन संबोधन है शिल्प का पर्यायवाची वैदिक शब्द 'कारु' भी था शिल्प शब्द का पर्याय अनेक ग्रन्थों में अलग-अलग अर्थ मिलता है अमरकोश में कारु शब्द शिल्प का पर्यायवाची है भातपथ ब्राह्मण में शिल्प चित्रकला, कौशतकी में नृत्य, गायन, जातको में संगीत हेतु, वामन पुराण में गणित हेतु एकशब्द प्रयुक्त हुआ है वाल्मीकि के राम वैहारिकाना

शिल्पना विज्ञाता थे, तो भरत मुनि की चित्रलेखा शिल्पकारिका। पाणिनी काल में कंठ संगीत व वाद्य संगीत दोनों ही शिल्प कहलाते हैं।¹¹

अटकिंसन ने सवा सौ वर्ष पूर्व शिल्पकारों की 25 उपजातियों अभिलिखित की हैं जो चार वर्गों में विभाजित हैं—

प्रथमवर्ग में सात श्रेष्ठ जातियों में कोली, टम्टा, लोहार, ओड़, तिरबा, बेड़ा और द्योड़ी हैं द्वितीय वर्ग में रूड़िया, चुनारा, आगरी, पहरी, भुल, हैं तृतीय वर्ग में चमार, मोची, बुखुड़िया, धूना तथा पर्जे हैं और चतुर्थ वर्ग में बाड़ी, हुड़किया, दर्जी, ढोली, और भांड आदि। उत्तराखण्ड के गाँवों में औढ़ और बड़ईगिरी का कार्य कतिपय ठाकुर भी करते आए हैं।¹²

कत्यूरी काल में भी शिल्पकारों के तीन वर्ग थे

प्रथम वर्ग— हस्त शिल्पी वर्ग

द्वितीय वर्ग—वाद्यक—नर्तक वर्ग

तृतीय वर्ग—ग्रामसेवक वर्ग।

प्रथम वर्ग — प्रत्येक गाँव में सभी वर्ग के लोग रहते थे इनका निवास स्थान अलग-अलग होता है जिनका आपस में खाने पीने तथा शादी-विवाह में छुआ-छूत प्रलित थी। ब्राह्मण, क्षत्रियों, खशों व शिल्पकारों में उच्च नीच का प्रभाव था ओड़ मिस्त्री का काम वस्तु शिल्प मंदिर भवनों, प्रासादों, नौलों एवं दबे प्रतिमाओं का निर्माण करते थे इन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था।¹³ कोली तेल निकालने का कार्य करते थे और कपड़े बुनने का कार्य भी करते थे छिपी वर्ग का कार्य कपड़ों को रंगने तथा छपाई का कार्य होता था। इनकी तुलना स्थानीय रंगरेज से की जा सकती है आगरिया, धनौरिया, लोहार, तिरुवाआदि लोहे के विभिन्न उत्पादों का निर्माण एवं खनन करते थे। टम्टों ताबे के बर्तन तथा वाद्य यंत्र बनाते थे तथा ताम्र मूर्तियों का निर्माण करते थे।¹⁴ धोणी या धुनेर जाति के लोग प्रमुख नदियों से सोने चॉदी छोटने का कार्य करते थे सुनार स्वर्ण, चॉदी एवं लौह के बारीक आभूषण बनाते थे तथा ताम्रपत्र, लौह शलाकों एवं पाषाण लेख लिखने का कार्य करते थे कत्यूरी काल में भी रूड़िया, शिल्पकार सोल्टी, कण्डी डलिया टोकरी चटाई एवं कोण्डे (अनाज रखने के बड़े बर्तन बनाने का कार्य करते थे)।¹⁵ हणकिया उत्तराखण्ड के कुम्हार हैं जो मिट्टी के घड़े, दीपक, हाण्डी, बत्तख (पानी हेतु) हिंसरा (चबेना घुनने की कढ़ाई) आदि बनाते थे।¹⁶

द्वितीय वर्ग में बेड़ा-वादी जाति का कार्य कलाबाजी, पटाबाजी, नृत्य, स्वांग, हास- परिहास नाटक करना था। उत्तराखण्ड में यह संगीत के जन्मजात उपासक, लोककवि व नर्तक है।¹⁷ दास/औजी यहाँ के ढोल सागर के ज्ञाता थे जो विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं मांगलिक अवसरों पर ढोल- नगाड़े एवं तुरही का प्रयोग किया जाता था इन दासों को विरूदावली एवं राजवली मौखिक याद रहती थी कत्यूरी काल में भी युद्ध में भी सैनिकों में जोश भरने के लिए ढोल-लगाड़े एवं तुरही का प्रयोग किया जाता था।¹⁸ कत्यूरी राजाओं की वंशावली का वर्णन ढोल बजाने वाले खेकदास द्वारा इस प्रकार वर्णित किया गया है—

राजा असन्ती वासन्ती

गोरा सावोला, ईलण, तिलण

बड़ा राजा पीथेरा, प्रीथमदेव

सूरीज तपनी का राजा धामदेव।¹⁹

तृतीय वर्ग में सभी निम्न स्तर के आते थे जो अपने शिल्पकारों व ग्रामीणों की सेवा करते थे।

प्रहरी— चौकीदार सूचनाओं को एक स्थान से दूरे स्थान को प्रेषित करते थे वागड़ी— ये शिकार में राजा की सहायता करते थे

बाड़े-पशु— पक्षियों की देख - रेख करना एवं धार्मिक कार्यों के लिए पशुओं की व्यवस्था करना

बखरिया— यह राजाओं के घोड़े व युद्ध में जाने वाले एवं अन्य पशुओं की देख भाल करते थे

झूलिया— ग्रामीण मनोरंजन हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना

नगरबी या पुम्पी— यह मृत जीवी पशुओं की खाल व उससे चर्म वाद्य यंत्रों की पूड थैले बनाने का कार्य करते थे

पतर— यह शादी— विवाह में पत्ते लाने एवं फैंकने का कार्य करते थे।²⁰

सन्दर्भ ग्रन्थ—

- 01 चमन लाल प्रद्योत, प्रवीन कुमार भट्ट, अरुण कुकसाल: 2012 विनसर पब्लिशिंग कं देहरादून उत्तराखण्ड के प्रमुख शिल्पकार पृ. सं. 15
- 02 उपरोक्त पृ. सं. 33
- 03 उपरोक्त पृ. सं. 34
- 04 त्रिपाठी, केशरी नंदन: 2015 नागरी प्रेस इलाहाबाद उत्तराखण्ड एक समग्र अध्ययन पृ. सं 234,236।
- 05 रुवाली, डॉ. नीरज: 2017 आधारशिला प्रकाशन, **Discovering the Himalayas**; पृ. सं. 422।
- 06 नेगी, डॉ. विधाधर सैह: 2011 मल्लिका बुक्स दिल्ली कुमाऊँ का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास 11वीं से 18वीं शताब्दी पृ. सं 95
- 07 चमन लाल प्रद्योत, प्रवीन कुमार भट्ट, अरुण कुकसाल: 2012 विनसर पब्लिशिंग कं देहरादून उत्तराखण्ड के प्रमुख शिल्पकार पृ. सं. 71,72।
- 08 उपरोक्त पृ. सं. 93, 94।
- 09 उपरोक्त पृ. सं. 102, 103।
- 10 उपरोक्त पृ. सं. 118
- 11 उपरोक्त पृ. सं. 131,132।
- 12 उपरोक्त पृ. सं. 136।
- 13 रतूडी, हरिकृष्ण: विनसर पब्लिकेशन देहरादून, गढ़वाल का इतिहास, पृ. सं 90
- 14 लोहनी, भाष्करानंद: कुमाऊँ गाथाएँ पृ. सं 207
- 15 जोशी, माहेश्वर प्रसाद: 2011अल्मोड़ा बुक डिपो, मध्य हिमालय की अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियाँ पृ. सं 17
- 16 टम्टा, सुरेश चंद्र: 2011अल्मोड़ा बुक डिपो, वर्तमान अतीत— मध्य हिमालय का शिल्प,शिल्पकार एवं नृ-पुरातत्व, पृ. सं 47
- 17 पाण्डे, जोशी व पोखरिया: कुमाऊँ हिमालय की परंपरागत प्रोद्योगिकी, पृ. सं 32
- 18 जोशी, माहेश्वर प्रसाद: 2011अल्मोड़ा बुक डिपो, मध्य हिमालय की अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियाँ पृ. सं 30
- 19 जोशी, माहेश्वर प्रसाद: 2011अल्मोड़ा बुक डिपो, मध्य हिमालय की अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियाँ पृ. सं 31
- 20 जोशी, माहेश्वर प्रसाद: 2011अल्मोड़ा बुक डिपो, मध्य हिमालय की अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियाँ पृ. सं 15।